न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 75/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
घेवरचंद चौरडिया पुत्र गणेमल चौरडिया जाति ओसवाल चौरडिया निवासी ग्राम गुढा भगवानदास तहसील खींवसर हाल ग्राम गोगेलाव तहसील व जिला नागौर		1 ग्राम पंचायत गोगेलाव 2 फेफी उर्फ कमला पत्नी भैराराम जाति जाट गोदारा निवासी ग्राम गोगलाव तहसील व जिला नागौर। 3 दीनदयाल पुत्र भंवरलाल जाति पारीक निवासी भक्तावाडी नागौर। 4 गुलाब पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी शिव मन्दिर के सामने हनुमान बाग कॉलोनी नागौर जरिये आम मुख्तियार सत्यनारायण पुत्र झुमरलाल जाति ब्राह्मण निवासी गांव संखवास तहसील मुण्डवा जिला नागौर हाल निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2 कान्ता बोथरा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3 श्री रूघाराम जोगपाल अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
4 श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
5 श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 11.02.2025

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मिसल संख्या 5/1995–96 में पट्टा जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 के जरिये दिनांक 25.03.1996 को पटटा संख्या 04 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.08.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 13.09.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से कान्ता बोथरा तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री रूघाराम जोगपाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 27.01.2021 व 06.12.2021 को क्रमशः प्रार्थी दीनदयाल पुत्र स्व. भंवरलाल निवासी भक्तावाडी नागौर की ओर से श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता व प्रार्थिया गुलाब पुत्री भंवरलाल पत्नी किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी नागौर की ओर से जरिये आम मुख्तियार सत्यनारायण पुत्र झुमरलाल जाति ब्राह्मण निवासी गांव संखवास तहसील मुण्डवा जिला नागौर हाल निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर एक–एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किये, जिनको बाद सुनवाई बतौर पक्षकार क्रमशः अप्रार्थी संख्या 03 व 04 रेकर्ड पर लिये गये। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 04 की फोटोप्रति, मिसल संख्या 05/1995–96 की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दीवानी मूल प्रकरण संख्या 22/16 (110/16) रमजान खां व अन्य बनाम अखाराम बागडिया व अन्य के निर्णय दिनांक 02.03.2019 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1994 की फोटोप्रति, सचिव जिला सतर्कता समिति नागौर के आदेश दिनांक 23.06.1995 की फोटोप्रति, एसडीओ नागौर के पत्र दिनांक 27.05.1995 की फोटोप्रति, शपथ पत्र रामकरण, आशाराम व हनुमानराम की फोटोप्रति, विक्रय पत्र सत्यनारायण बहक ओमप्रकाश, विक्रय पत्र सत्यनारायण बहक कैन्हयालाल की फोटोप्रति, अप्रार्थी संख्या 02 ने शपथ पत्र जंवरदीन की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोगेलाव के फैसले की फोटोप्रति, पंचायत समिति नागौर के मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 03 की फोटोप्रति,

अपर कलक्टर, नागौर

अन्तिम रिपोर्ट की फोटोप्रति, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के निर्णय दिनांक 30.06.2011 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोगेलाव के प्रस्ताव दिनांक 30.08.2012 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोगेलाव के ग्राम सभा बैठक कार्यवाही रजिस्टर की फोटोप्रति, पंचायत समिति नागौर के पत्र दिनांक 03.09.13 की फोटोप्रति, अखबार की फोटोप्रति, पंचायत समिति नागौर के मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, नजरी नक्शा की फोटोप्रति, इकरारनामा की फोटोप्रति, घेवरचंद के बयानों की फोटोप्रतियां, ग्राम गोगेलाव की जमाबंदी संबंत 2020–39 की फोटोप्रति, सेल्स सर्टिफिकेट के हिन्दी अनुवाद की फोटोप्रति, सेल्स सर्टिफिकेट की फोटोप्रति, अप्रार्थी संख्या 03 ने बेचाननामा शिवप्रताप बहक भंवरलाल मय नक्शा की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 04 ने बेचान रजिस्ट्री की फोटोप्रति, आम मुख्तियारनामा गुलाब देवी बहक सत्यनारायण की फोटोप्रति, शपथ पत्र मूल मुकेश पुत्र रामदेव ब्राह्मण निवासी हाउसिंग बोर्ड नागौर की प्रति, गुलाब देवी के आधार कार्ड की फोटोप्रति, सत्यनारायण के आधार कार्ड की फोटोप्रति, गुलाब देवी के पेन कार्ड की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोगलाव का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– ग्राम पंचायत गोगेलाव का प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 सर्वथा गलत अवैध विधिविरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि दिनांक 15.02.1996 को कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ और न ही प्रस्ताव की नकल पत्रावली पर उपलब्ध ही है।

2(2)– ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 5/1996 अन्तर्गत पंचायत अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायत नियम 1996 में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए विधिविरूद्व एवं अवैध प्रस्ताव पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)–ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 5/1995–6 के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 अन्तर्गत इस जमीन को अप्रार्थी संख्या 2 की कदीमि पिढियो से कब्जासुद मानकर जो निर्णय पारित किया, वह सर्वथा विधि विरूद्व है। पत्रावली पर लेंशमात्र भी ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, जिससे यह प्रमाणित हो कि इस भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का कदीमि पिढियों से चला आ रहा हो। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध फर्जी इकरारनामा दिनांक 11.01.1995 अन्तर्गत इस भूमि को गफार पुत्र मोले खां निवासी नागौर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में इकरारनामे से विक्रय होना बतलाकर वादग्रस्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 ने प्राप्त किया है। जब अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत गोगेलाव के समक्ष पत्रावली पर यह उपलब्ध था कि अप्रार्थी संख्या 2 ने जिस भूमि का पट्टा प्राप्त करने आवेदन पेश किया, जिसके फर्जी इकरारनामा दिनांक 11.01.1995 को साथ में पेश किया गया जिससे यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 11.01.1995 से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं था फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अप्रार्थी संख्या 2 को फर्जी दस्तावेज के आधार पर एवं बिना कब्जा एवं स्वामित्व के दिनांक 25.03.1996 को प्रस्ताव संख्या 8 की पालना अन्तर्गत पट्टा जारी कर दिया, जो पूर्ण रूप से अवैध एवं विधि विरूद्व है।

2(4)– अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत गोगेलाव को धोखे में रखकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टा विलेख हेतु फर्जी दस्तावेज के साथ आवेदन पेश किया। कथित इकरारनामा जो गफार खां के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में लिखा होना बतलाया है। प्रथम तो ऐसा इकरारनामा अवैध एवं विधिविरूद्व है। क्योंकि विक्रेता को निगरानीकर्ता की पट्टासुद भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी जो इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष पेश हुआ। ऐसे कथित इकरारनामें में विक्रेता गफार खां के कोई हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। इस प्रकार फर्जी इकरारनामा दिनांक 11.01.1995 को प्रथम दृष्टया देखने से ही यह प्रमाणित है कि विवादित जायगा अप्रार्थी संख्या 2 कदीमी व पिढियो से कब्जासुद नहीं रही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना सबूत व बिना जांच किये निगरानीकर्ता की पट्टासुद व कब्जासुद भूमि का अवैध एवं विधिविरूिद्व प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 पारित कर अप्रार्थी संख्या 2 के हक में दिनांक 25.03.1996 को पट्टाविलेख जारी किया, जो पूर्ण रूप से अवैध विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने याग्य है।

2(5)– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों पर किसी भी प्रकार का कोई गौर नहीं किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नियम 266 के तहत पट्टाविलेख जारी किया, जबकि नियम 266 राजस्थान पंचायत नियम 1961 के अन्तर्गत ऐसी भूमि का कब्जा 50 वर्ष से अधिक का होना आज्ञापक है। जबकि हस्तगत प्रकरण में पट्टा विलेख दिनांक 25.03.1996 को जारी करने की तिथि तक अप्रार्थी संख्या 2 का लेंश मात्र भी कोई कब्जा नहीं था। फिर भी तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ गांठ एवं मिलावट कर फर्जी पट्टा जारी किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(6)– ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बनाते समय यदि भूमि का मूल्य 1000 से अधिक हो तो नियम 265 (3) के अनुसार उसे विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक थी। ऐसी कोई स्वीकृति नहीं ली गई इसलिये जो पट्टा जारी किया गया, वह बिना किसी अधिकारिता के था तथा आरम्भ से ही अवैध व शून्य था। इसलिये निष्प्रभावी है। उक्त नियम 265 के प्रावधान नियम 266 के अन्तर्गत जारी किये जाने के पट्टो के लिये भी प्रभावित थे व है। जिसका उल्लेख नियम 268 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है।

2(7)– अप्रार्थी संख्या 1 ने जिस भूमि पर पट्टा जारी किया है, उस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व पट्टा जारी होने से 100 वर्ष पूर्व भी नहीं था। सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व दिनांक 02.05.1912 से अमानमल मघराज पुत्र लालचन्द महाजन का था। जिसके पक्ष में तत्कालीन शासक द्वारा पट्टा विलेख भी जारी किया गया। इसके पश्चात इस भूमि के विवाद सक्षम सिविल न्यायालयों में भी निर्णित किये गये तथा समय समय पर पूर्व स्वामियों द्वारा इस भूमि को आगे से आगे विक्रय किया जाता रहा। अन्त में दिनांक 21.04.1994 व दिनांक 28.07.1994 को निरानीकर्ता द्वारा यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेखो के तहत क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 का इस भूमि पर कभी व पिढियों से कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

2(8)–ग्राम पंचायत के पास पट्टा हेतु आवेदन कब पेश किया गया, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है और आवेदन में ऐसी भी उल्लेख नहीं किया गया है कि पट्टा प्राप्तकर्ता का किस प्रकार से कब्जा था। पट्टा जमीन का मांगा गया। परन्तु जमीन पर कब्जे की स्थिति का कोई खुलासा आवेदन में नहीं किया गया। मात्र आवेदन पत्र पेश करने से कब्जा प्रमाणित नहीं होता जबकि पत्रावली में जो आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 का पेश किया हुआ है उसमें आधिपत्य/कब्जे का आधार खरीदसुदा दिनांक 11.01.1995 उल्लेखित है और जो आवेदन पट्टा हेतु पेश करना बतलाया गया है उसकी दिनांक 15.10.1995 अंकित है। इस प्रकार पट्टा प्राप्त करने के आवेदन में भी इस भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का प्रमाणित नहीं था और अप्राथी संख्या 1 को भी आवेदन के समय इस बात की जानकारी थी कि उसने खरीदसुदा भूमि दिनांक 01.11.1995 के आधार पर पट्टा विलेख हेतु आवेदन पेश किया। जबकि खरीदसुदा भूमि का पट्टा विलेख जारी करने का पंचायत अधिनियम में कोई प्रावधान ही नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 के आवेदन बाबत पट्टा विलेख प्राप्त करने को पढने से भी यह प्रतीत होता है कि उसका कब्जा पिढियों से नहीं है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा कभी भी पिढियों से होना मानकर जो प्रस्ताव पारित किया जो सर्वथा विधिविरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)–अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारियों ने व पंचों ने तथा सरपंच ने मौके पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की मात्र कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति की गई। यदि उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता तो निश्चित रूप से मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा नहीं मिलता। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र खानापूर्ति करके प्रार्थी के पट्टासुद व खरीदसुदा भूमि का अवैध प्रस्ताव पारित कर दिनांक 25.03.1996 को पट्टा विलेख जारी कर दिया जो अवैध एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)– अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की आवप्ति एवं विज्ञप्ति के नोटिस प्रकाशित नहीं करवाये गये न ऐसे नोटिसेज की तामिल करवाई न मौके पर तामिल करवाई गई यहां तक कि पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व आवप्ति एवं विज्ञप्ति की तामिल करवाई हो। पत्रावली पर ऐसे कोई नोटिस उपलब्ध ही नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कार्यालय में बैठकर मात्र खानापूर्ति की है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की खरीदसुदा भूमि का जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(11)– राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 157 में भी यह उल्लेखित है ऐसी भूमि का कब्जा 50 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है तथा भूमि का नाम 300 वर्गगज से अधिक होने पर शेष भूमि की दर डीएलसी दर पर वसूल करने का प्रावधान है। जबकि हस्तगत प्रकरण में जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया, वह 300 वर्गगज से अधिक थी। जिसकी डीएलसी दर से राशि प्राप्त नहीं की गई तथा 200 रूपये जिस रसीद से जमा होना बतलाया है वैसी रसीद ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने लाखों रूपये की भूमि का विधिविरूद्व पट्टा जारी कर दिया।

11/2/25
अपर कलक्टर, नागौर

2(12)–अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व मौके की कोई जांच नहीं की। कब्जे की कोई जांच नहीं की। पत्रावली पर फर्जी इकरारनामा पेश किया गया उस पर भी गौर नहीं किया। पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए विधिविरूद्व अवैध प्रस्ताव पारित कर ऐसे अवैध प्रस्ताव की पालना में दिनांक 25.03.1996 को जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(13)–अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को न कोई इत्तला दी, न कोई सूचना दी यहां तक कि निगरानीकर्ता से निगरानीकर्ता का कब्जा एवं स्वामित्व रहते हुए भी निगरानीकर्ता को बिना सुने व बिना सबूत के अवैध व विधिविरूद्व प्रस्ताव जारी कर अवैध पट्टा जारी किया।

2(14)– अप्रार्थी संख्या 01 ने जिस फर्जी इकरारनामें में कब्जे का जो आधार पंचायत का फैसला दिनांक 09.06.1956 बतलाया है, उसे भी माना जावे तो उस निर्णय अनुसार हुसैन खां को वर्ष 1956 में ही बेदखल कर दिया गया था तो उसके पश्चात उसका कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रथम तो पंचायत का फैसला दिनांक 09.06.1956 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है और ऐसे फैसले अन्तर्गत अतिक्रमी को 1956 में ही बेदखल कर दिया तो उसका कब्जा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व मौके की एवं दस्तावेज साक्ष्य पर लेंशमात्र भी गौर किया जाता तो निश्चित रूप से ऐसी भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष के जारी नहीं किया जाता। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ने तत्कालीन सरपंच से सांठ गांठ व मिलावट कर रखी थी। तत्कालीन सरपंच को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व इस बात की जानकारी थी कि यह भूमि अमानमल मघराज की पट्टासुद वैध स्वामित्व की भूमि है। जिसका मालिकाना हक समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा माना गया है। फिर भी निगरानीकर्ता की भूमि को हडप करने की नियत से फर्जी पट्टा जारी कर दिया।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–प्रार्थी घेवरचंद चौरडिया ने गांव गोगेलाव की आबादी भूमि में अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुद बताकर न्यायालय सिविल जज, नागौर से जरिये नीलामी शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने जरिये इजराय सेल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 के जरिये स्वामित्व का टाईटल बताकर आगे से आगे विक्रय होकर घेवरचंद द्वारा विक्रय पत्र एवं इकरारनामा के जरिये अपना स्वामित्व टाईटल बताकर अप्रार्थी संख्या 02 कमला उर्फ फेफी पत्नी भेराराम जाट निवासी गोगेलाव के नाम से विधिवत जारी पट्टा के विरूद्व करीब 23 साल बाद हस्तगत निगरानी मियाद बहार व सरासर गलत आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है।

3(2)–पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण व वास्तविक स्थिति यह है कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों में यह बताया गया है कि गोगेलाव के आबादी एरिया में नागौर से बीकानेर जाने वाली सडक के पश्चिम में स्थित जायगा 53065 वर्गगज भूमि अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद कौम महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुद भूमि थी, जिसका पट्टा तत्कालीन महाराज सुमेरसिंह द्वारा दिनांक 2.5.1912 को जारी करना बताया है और तत्पश्चात वर्ष 1962 में इस सम्पूर्ण जायगा को न्यायालय सिविल जज नागौर ने नीलाम कर नीलामी से शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ने इजराय कार्यवाही से उक्त जायगा प्राप्त करना बताया व न्यायालय सिविल जज नागौर ने उक्त शिवप्रताप पारीक के पक्ष में सैल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 में जारी करना बताया है।

3(3)– उपरोक्त तथ्य निगरानीकर्ता को दस्तावेजात के आधार पर साबित करना था, मगर निगरानीकर्ता ने कथित सेल सर्टिफिकेट व सिविल जज नागौर के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है, जिससे उसका कथन माने जाने योग्य नहीं है। जबकि हस्तगत पट्टासुद भूमि पर अप्रार्थी कमला उर्फ फेफी के कब्जा व उपयोग उपभोग की रही थी व दिनांक 24.06.1956 को ग्राम पंचायत गोगेलाव ने एक फैसला सुनाया जिसमे यह बताया गया कि मानाराम हरिजन की जमीन के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा हुसेन खां द्वारा किया जाना बताकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए हुसैन खां को दोषी माना गया। क्योंकि मानाराम हरिजन के चिपते पडौस में हुसैन खां का उस समय कब्जा था, उसी हुसैन खा की जमीन को आगे चलकर गफार खां ने कमला उर्फ फेफी को बेचान कर दी तथा बेचान की लिखापढी पत्रावली मे पेश है।

3(4)– निगरानीकर्ता घेवरचंद व आत्माराम के बीच उक्त पट्टासुद जायगा के संबंध में विवाद होने पर दिनाक 25.05.1994 को विकास अधिकारी नागौर व लालसिंह भाटी प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा आत्माराम की उक्त पट्टासुदा जायगा की मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसमें आत्माराम के प्लोट का नक्शा दर्शित है उक्त नक्शे में दक्षिणी पडौस मे गफार खा का पडौस दर्शित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त

अपर कलक्टर, नागौर

2(12)–अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व मौके की कोई जांच नहीं की। कब्जे की कोई जांच नहीं की। पत्रावली पर फर्जी इकरारनामा पेश किया गया उस पर भी गौर नहीं किया। पंचायत अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुए विधिविरूद्व अवैध प्रस्ताव पारित कर ऐसे अवैध प्रस्ताव की पालना में दिनांक 25.03.1996 को जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

2(13)–अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को न कोई इत्तला दी, न कोई सूचना दी यहां तक कि निगरानीकर्ता से निगरानीकर्ता का कब्जा एवं स्वामित्व रहते हुए भी निगरानीकर्ता को बिना सुने व बिना सबूत के अवैध व विधिविरूद्व प्रस्ताव जारी कर अवैध पट्टा जारी किया।

2(14)– अप्रार्थी संख्या 01 ने जिस फर्जी इकरारनामें में कब्जे का जो आधार पंचायत का फैसला दिनांक 09.06.1956 बतलाया है, उसे भी माना जावे तो उस निर्णय अनुसार हुसैन खां को वर्ष 1956 में ही बेदखल कर दिया गया था तो उसके पश्चात उसका कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रथम तो पंचायत का फैसला दिनांक 09.06.1956 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है और ऐसे फैसले अन्तर्गत अतिक्रमी को 1956 में ही बेदखल कर दिया तो उसका कब्जा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व मौके की एवं दस्तावेज साक्ष्य पर लेंशमात्र भी गौर किया जाता तो निश्चित रूप से ऐसी भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष के जारी नहीं किया जाता। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ने तत्कालीन सरपंच से सांठ गांठ व मिलावट कर रखी थी। तत्कालीन सरपंच को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व इस बात की जानकारी थी कि यह भूमि अमानमल मघराज की पट्टासुद वैध स्वामित्व की भूमि है। जिसका मालिकाना हक समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा माना गया है। फिर भी निगरानीकर्ता की भूमि को हडप करने की नियत से फर्जी पट्टा जारी कर दिया।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–प्रार्थी घेवरचंद चौरडिया ने गांव गोगेलाव की आबादी भूमि में अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुद बताकर न्यायालय सिविल जज, नागौर से जरिये नीलामी शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने जरिये इजराय सेल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 के जरिये स्वामित्व का टाईटल बताकर आगे से आगे विक्रय होकर घेवरचंद द्वारा विक्रय पत्र एवं इकरारनामा के जरिये अपना स्वामित्व टाईटल बताकर अप्रार्थी संख्या 02 कमला उर्फ फेफी पत्नी भेराराम जाट निवासी गोगेलाव के नाम से विधिवत जारी पट्टा के विरूद्व करीब 23 साल बाद हस्तगत निगरानी मियाद बहार व सरासर गलत आधारों पर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है।

3(2)–पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण व वास्तविक स्थिति यह है कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों में यह बताया गया है कि गोगेलाव के आबादी एरिया में नागौर से बीकानेर जाने वाली सडक के पश्चिम में स्थित जायगा 53065 वर्गगज भूमि अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद कौम महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुद भूमि थी, जिसका पट्टा तत्कालीन महाराज सुमेरसिंह द्वारा दिनांक 2.5.1912 को जारी करना बताया है और तत्पश्चात वर्ष 1962 में इस सम्पूर्ण जायगा को न्यायालय सिविल जज नागौर ने नीलाम कर नीलामी से शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण ने इजराय कार्यवाही से उक्त जायगा प्राप्त करना बताया व न्यायालय सिविल जज नागौर ने उक्त शिवप्रताप पारीक के पक्ष में सैल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 में जारी करना बताया है।

3(3)– उपरोक्त तथ्य निगरानीकर्ता को दस्तावेजात के आधार पर साबित करना था, मगर निगरानीकर्ता ने कथित सेल सर्टिफिकेट व सिविल जज नागौर के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है, जिससे उसका कथन माने जाने योग्य नहीं है। जबकि हस्तगत पट्टासुद भूमि पर अप्रार्थी कमला उर्फ फेफी के कब्जा व उपयोग उपभोग की रही थी व दिनांक 24.06.1956 को ग्राम पंचायत गोगेलाव ने एक फैसला सुनाया जिसमें यह बताया गया कि मानाराम हरिजन की जमीन के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा हुसेन खां द्वारा किया जाना बताकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए हुसैन खां को दोषी माना गया। क्योंकि मानाराम हरिजन के चिपते पडौस में हुसैन खां का उस समय कब्जा था, उसी हुसैन खां की जमीन को आगे चलकर गफार खां ने कमला उर्फ फेफी को बेचान कर दी तथा बेचान की लिखापढी पत्रावली मे पेश है।

3(4)– निगरानीकर्ता घेवरचंद व आत्माराम के बीच उक्त पट्टासुद जायगा के संबंध में विवाद होने पर दिनाक 25.05.1994 को विकास अधिकारी नागौर व लालसिंह भाटी प्रशासक ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा आत्माराम की उक्त पट्टासुदा जायगा की मौका रिपोर्ट तैयार की गयी, जिसमें आत्माराम के प्लोट का नक्शा दर्शित है उक्त नक्शें में दक्षिणी पडौस में गफार खां का पडौस दर्शित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त

अपर कलक्टर, नागौर

मौका रिपोर्ट के समय भी आत्माराम के प्लोट के दक्षिण में निगरानीकर्ता घेवरचंद की जायगा नहीं मानकर गफारखां का प्लोट अंकित है। गफारखां ने उक्त प्लोट का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी को कर दिया।

3(5)–निगरानीकर्ता घेवरचंद ने आत्माराम व कमला उर्फ फेफी के पक्ष में जारी पट्टा के संबंध में एफ.आई. आर.नं. 309/97 जुर्म धारा 420, 467, 468, 471, 472, 120बी भा.द.सं. में दर्ज करवाया गया मगर पुलिस ने बाद अनुसंधान उक्त प्रकरण में एफ.आर. पेश की थी, जिस पर निगरानीकर्ता घेवरचंद ने प्रोटेस्ट पिटिशन पेश एफ.आर. का विरोध किया व प्रसंज्ञान लेने का निवेदन किया मगर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा उपरोक्त विवादित जायगा पर पहले से ही आत्माराम, मेहराम पिता मानाराम व फेफी उर्फ कमला का कब्जा मानते हुए व हस्तगत पट्टे को सही मानते हुए एफ.आर. स्वीकार की गयी। उक्त फैसले के खिलाफ निगरानीकर्ता घेवरचंद ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, उक्त निगरानी भी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर द्वारा खारिज की गयी, इस प्रकार उक्त पट्टासुदा जायगा पर अप्रार्थी संख्या 2 का लगातार कब्जा उपयोग उपभोग होना व उनके पक्ष में जारी पट्टा विधि सम्मत होना स्पष्ट था व है।

3(6)– निगरानीकर्ता ने गांव गोगेलाव के आबादी एरिया में नागौर से बीकानेर जाने वाली सडक के पश्चिम में कुल जायगा 53065 वर्गगज की भूमि अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद जाति महाजन निवासी गोगेलाव की पट्टासुदा भूमि होना बताया है, उक्त पट्टासुदा भूमि न्यायालय सिविल जज नागौर द्वारा वर्ष 1962 में शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने इजराय कार्यवाही से प्राप्त करना बताया है, जो कथित सेल सर्टिफिकेट वर्ष 1962 में जारी होना बताया। उक्त तथ्यों का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी सामने आता है कि उपरोक्त पट्टा अमानम मेघराज पुत्र लालचंद के नाम से 53065 वर्गगज का पट्टा तत्कालीन शासक सुमेरसिंह द्वारा जारी करना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा दिनांक 21.05.2012 को अपने प्रस्ताव में लालचंद महाजन के दो पुत्र अमानमल व मेघराज होना बताया है तथा अमानमल के दुलीचंद, भैरूदान, छोगमल, मुकनमल, हीराचंद व रेखचंद कुल 6 पुत्र अमानमल के बताये गये है तथा मेघराज के रूपचंद, सुगनमल, अमरचंद तीन पुत्र बताये गये है। शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने रूपचंद वल्द मेघराज बौथरा साकिन नागौर के खिलाफ सिविल वाद पेश किया था, उपरोक्त वाद डिक्री किये जाने के पश्चात शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल को रूपचंद वल्द मेघराज बौथरा की जमीन निलामी कर जरिये सेल सर्टिफिकेट शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने प्राप्त की होना बताया है, इस प्रकार से कुल जमीन 53065 वर्गगज में से 1/2 हिस्सा अमानमल का यानि 26532.5 वर्गगज हिस्सा अमानमल का बनता है तथा मेघराज का 1/2 हिस्सा यानि 26532.5 वर्गगज हिस्सा बनता है, इस प्रकार मेघराज का कुल हिस्सा 26532.5 वर्गगज बनता है, इस प्रकार मेघराज के तीन पुत्र होने से मेघराज के बंट में 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा ही रूपचंद पुत्र मेघराज के बंट में बनता है, जिससे रूपचंद पुत्र पेघराज के खिलाफ सिविल वाद के जरिये उपरोक्त सुमेरसिंह द्वारा जारी सम्पूर्ण पट्टा भूमि 53065 वर्गगज की नीलामी सिविल जज नागौर द्वारा किया जाना कतई संभव नही है, इस प्रकार कथित नीलामी के जरिये सम्पूर्ण जायगा का सेल सर्टिफिकेट कतई जारी नहीं हो सकता है। सेल सर्टिफिकेट या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि सेल सर्टिफिकेट के जरिये 53065 वर्गगज भूमि शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने प्राप्त की हो।

3(7)– उक्त भूमि पर पट्टाधारी व उनके पूर्व स्वामित्व का कब्जा सन 1955 से 10–12 साल पहले लगातार रहेता चला आया था तथा तमाम तथ्यों की निगरानीकर्ता को भलीभांति जानकारी रही है, मगर उक्त पट्टा के खिलाफ में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गयी और हस्तगत निगरानी 23 साल बाद न्यायालय हाजा के समक्ष मियाद बाहर पेश की गयी है, उक्त निगरानी में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि 23 साल बाद निगरानी क्यों पेश की जा रहीं है व मियाद अवधि का कहीं अंकन नहीं किया है व निगरानी के साथ मियाद अधिनियम का आवेदन भी पेश नहीं किया है न ही देरी का कोई माकूल व पर्याप्त कारण सम्पूर्ण निगरानी में दर्ज है, ऐसी स्थिति में निगरानी मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत रेणुदेवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2016 (1)आर.जे.टी. पेज 99 की ओर ध्यान दिलाया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में भी यह स्पष्ट किया है कि 24 वर्ष बाद निगरानी पेश की गयी, पंचायत ने आबादी भूमि आंवटित की, विलम्ब हेतु कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया, असामान्य विलम्ब के बाद पक्षकार को उपचार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3(8)–दिनांक 24.06.1956 को ग्राम पंचायत गोगेलाव ने एक फैसला सुनाया जिसमें यह बताया कि मानाराम हरीजन के जमीन के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा हुसैनखां द्वारा किया गया, उक्त अतिक्रमण में हुसेनखां को

अपर कलक्टर, नागौर

दोषी माना गया क्योंकि माना गया क्योंकि मानाराम हरिजन के चिपता पडौसी हुसैन खां का कब्जा उस समय था, उसी हुसैनखां की जमीन को आगे चलकर गफारखां ने कमला उर्फ फेफी को बेचान कर दी, बेचान की लिखापढी पत्रावली पेश है, उक्त लिखापढी यदि फर्जी होना कहा जाता है तो उसे निगरानीकर्ता को फर्जी साबित करना था, जो नहीं किया गया है मिसल संख्या 5 की ऑर्डरशीट दिनांक 30.12.1995 में कब्जा 40 वर्ष पुराना साबित (पंचायत फैसला दिनांक 24.06.1956 का हवाला देते हुए) माना है। दिनांक 15.10.1995 को ग्राम पंचायत गोगेलाव के समक्ष 8 पट्टो के आवेदन थे, जिसमें कमला उर्फ फेफी का भी था। उक्त पट्टों की मौका रिपोर्ट हेतु कमेटी नियुक्त की गयी। उक्त कमेटी मे धन्नाराम, ओमप्रकाश, दिनेश कुमार वार्ड पंचों को नियुक्त कर मौका देखा गया, जिसमें उक्त प्लॉट का कब्जा कमला उर्फ फेफी का माना गया है। मौका रिपोर्ट पेश होने के पश्चात दिनांक 15.11.1995 की ऑर्डरशीट में यह अंकित किया है कि सामान्य नियम 260 के तहत आपति मांगने का आपति नोटिस एक माह का जारी किया जाता है ताकि किसी सज्जन को कोई आपति हो तो दिनांक 14.12.1995 तक आपति लिखित में पेश कर सकेगे, एक माह की मियाद गुजरने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। ग्राम पंचायत की नोटशीट/ ऑर्डरशीट दिनांक 15. 12.1995 में अंकित है कि " धारा 261 के तहत आपति मांगने का नोटिस जारी किया गया था लेकिन आज तक कोई आपति नहीं आई।" मिसल पत्रावली में गवाह इब्राहिम व आत्माराम ने पुराना कब्जा माना है। ग्राम पंचायत के आपति नोटिस देने के बावजूद किसी भी व्यक्ति ने आपति नहीं दी गई। अगर उक्त पट्टे का कब्जा या स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति का होता तो ग्राम पंचायत गोगेलाव या अन्य किसी अधिकारी के समक्ष 1956 से 1996 में पट्टा जारी होने तक कोई शिकायत नहीं की गयी, सन 1994 मे आत्माराम व घेवरचंद के मध्य विवाद होने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गयी, जिसमें आत्माराम के प्लोट का नक्शा दर्शित है, उक्त नक्शा में दक्षिणी तरफ का पडौसी गफार खां का प्लोट दर्शित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट के समय भी आत्माराम के प्लोट के दक्षिण में निगरानीकर्ता घेवरचंद का प्लोट नहीं मानकर गफारखां का प्लोट होना अंकित है। गफारखां ने उक्त प्लोट का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी को किया।

3(9)–आत्माराम का पट्टा संख्या 3 के चिपता पडौसी प्लोट गफारखां का बताया गया है।

3(10)–निगरानीकर्ता घेवरचंद ने एक फौजदारी मुकदमा सीआर.न. 309/97 पुलिस थाना नागौर में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादसं. में आत्माराम व कमला उर्फ फेफी, भेराराम, रफीकखां, कन्हैयालाल के खिलाफ दर्ज करवाया था, उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने यह माना कि प्रार्थी ने दो साल बाद एफ.आई.आर. न्यायालय के समक्ष पेश की, जबकि पंचायत द्वारा वर्ष 1995 में ही आबादी की जमीन में से प्लोट काट कर दिये। इस संबंध में रेवेन्यु विभाग के अधिकारियों ने भी जांच की व उक्त आराजी को आबादी की होना बताया। विकास अधिकारी द्वारा भी इस जमीन को आत्माराम व कमला उर्फ फेफी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत गोगेलाव से पट्टे बनवाने की कार्यवाही करे। प्रार्थी घेवरचंद की एफ.आई.आर. व प्राप्त पट्टासुदा रिपोर्ट में काफी विरोधाभाष है तथा अनुसंधान अधिकारी ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो को सही मानकर एफ.आर. दी थी। जिस पर निगरानीकर्ता घेवरचंद ने न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की थी मगर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2011 को एफ.आर. पर निर्णय करते हुए अपनी राय व्यक्त की कि, "इस भूभाग पर पहले से ही आत्माराम, मेहराम पिता मानाराम व फेफी उर्फ कमला पत्नी भेराराम गोदारा का कब्जा था, इनके कब्जे के निशानात भी पुराने है पंचायत समिति नागौर की रिपोर्ट एवं तहसीलदार द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार भी विवादित भूमि परिवादी की न होकर मेहराम, कमला आदि की है। ग्राम पंचायत गोगेलाव की मौका रिपोर्ट अनुसार भी विवादित भूभाग मुताबिक नाप के खसरा नम्बर 303 गेर मुमकिन आबादी में आता है व खसरा नम्बर 303 राजस्व रेकर्ड में 103 बीघा है" इस प्रकार इस पट्टासुद जायगा को न्यायालय आत्माराम मेहराम पिता मानाराम व कमला उर्फ फेफी पत्नी भेराराम की पट्टासुद जायगा मानते हुए एफ.आर. स्वीकार की गयी थी।

3(11)–उक्त निर्णय क विरूद्व निगरानीकर्ता घेवरचंद ने एक निगरानी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 नागौर ने की गयी जो निगरानी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 नागौर में की गयी जो निगरानी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर ने खारिज कर दी थी। उक्त तथ्य घेवरचंद निगरानीकर्ता ने सिविल न्यायालय मे हुए बयानो मे स्वीकार किया है।

3(12)– दिनांक 7.5.2012 को निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा एक इकरारनामा जंवरूदीन के हक में निष्पादित किया था जिसमें पडौस अंकित है इकरारनामा में पूर्व में उतरादा पूर्व में भेराराम का प्लोट व बीकानेर हाई व्हे

अपर कलक्टर, नागौर

एन.एच. रोड है जिसमें घेवरचंद के जगह जगह हस्ताक्षर कर कमला उर्फ फेफी पत्नी भेराराम का प्लोट होना स्वीकार किया है अब उक्त तथ्य को घेवरचंद इन्कार नहीं कर सकता व उक्त इकरारनामा के संलग्न नक्शा में दर्शित पडौसो में भी भेराराम यानि कमला के पति का प्लोट अंकित है, निगरानीकर्ता पूर्व के कथन व स्वीकारोक्ति से भिन्न कथन करने से एस्टोप्ड है।

3(13)–उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष निगरानीकर्ता वगैरा द्वारा 145 सीआर.पी.सी की कार्यवाही कर कमला उर्फ फेफी व आत्माराम के पट्टे की भूमि के संबंध में तहसीलदार नागौर को रिसीवर नियुक्त किया गया था, तहसीलदार नागौर ने उक्त दोनो पट्टो की भूमि पर कब्जता आत्माराम व कमला उर्फ फेफी से प्राप्त किया था।

3(14)–सन 1956 के 10–12 वर्ष पहले से लेकर सन 2012 में रिसीवर की कार्यवाही तक कब्जा पट्टाधारी अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी व उसके पूर्व स्वामियों का होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है।

3(15)–निगरानीकर्ता घेवरचंद ने एक इस्तगासा सी.जे.एम. कोर्ट नागौर मे पेश कर जाहिर किया कि उसके खरीदसुदा कब्जासुद भूभाग पर मेहराम, आत्माराम, फेफी उर्फ कमला के नाम विक्रय विलेख दिनांक 25.03.1996 को जारी कर दिया, वगैरा इस्तगासा पर पुलिस थाना नागौर में सीआर. नं. 309/दिनांक 1.8.1997 धारा 410, 467, 468, 471, 120बी भादसं में दर्ज कर अनुसंधान किया व अनुसंधान में बताया गया कि पटवारी हल्का गोगेलाव का रिकॉर्ड पंचायत द्वारा पेश किया गया जिसका अवलोकन किया। रेकर्ड के साथ पटवारी द्वारा तैयार किये गये नक्शा को देखा गया, जिस स्थान पर प्रार्थी घेवरचंद प्लोट नं. 6 बताता है वह जमीन जमाबंदी के आराजी नं. 303 रकबा 103 बीघा 4 बिस्वा है जो पुराने गांव गोगेलाव की आबादी का है इस आबादी के पश्चिम मे भंवरलाल उर्फ शिवप्रताप की जमीन दर्शायी गयी है, पंचायत द्वारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए एक प्लोट 80 गुणा 60 का 1520 रू. में आत्माराम, मेहराम को व एक प्लोट 60 गुणा 90 फुट का दिनांक 15.10.1995 को 900 रू में फेफी उर्फ कमला को पट्टा जारी किया गया, जिसका इन्द्राज पंचायत के रिकॉर्ड में लेकर पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है इस संबंध में रेवेन्यु विभाग के अधिकारियों ने भी जांच की व उक्त आराजी को आबादी होना बाताया। विकास अधिकारी नागौर द्वारा भी इस जमीन को सही मानते हुए आत्माराम को निर्देशित किया कि ग्राम पंचयत गोगेलाव से पट्टा बनाने की कार्यवाही करे। प्लोट आबादी जमीन में से काट कर दिये है उपरोक्त आधार मानते हए अनुसंधान अधिकारी ने उक्त प्रकरण अदम वकू सिविल नेचर का मानते हुए न्यायालय मे एफ.आर. पेश की जिस पर घेवरचंद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटिशन पेश की व पत्रावली ट्रांसफर होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर ने दिनांक 30.06.11 को आदेश पारित किया, जिसमें यह बताया गया कि परिवादी घेवरचंद ने अभियुक्तगण आत्माराम व कमला उर्फ फेफी द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करना बताया है व घेवरचंद द्वारा प्रस्तुत विक्रयपत्र दिनांक 28.7.94 जिसमें प्लोट संख्या 6 के पडौस में उतर में गांव गोगेलाव जाने का रास्ता, दक्षिण में गली व बाद मे विजयशंकर के प्लोट संख्या 4, 3, 2, के पूर्व में रास्ता बताया है तथा पश्चिम मे आसकरण व्यास का प्लोट संख्या 5 है व बाद मे हीरालाल चम्पालाल की जमीन है, उपरोक्त प्लेट पर आत्माराम वगैरा द्वरा कब्जा करना बताया, आत्माराम, मेहराम के नाम पर ग्राम पंचायत गोगेलाव ने एक पटटा जारी किया है, उक्त पटटा की सीमा के अनुसार पूर्व में नागौर–बीकानेर रोड, पश्चिम में मूलचंद दर्जी का बाडा, उत्तर में गली व आम रास्ता, दक्षिण में गफार खां का प्लोट व खालसा भूमि होना बतलाया है। जबकि परिवादी घेवरचंद के विक्रयपत्र में और मेहराम को जारी किये गये पट्टे की सीमा में काफी अन्तर है, इस अधिकृत भूभाग पर पहले से ही आत्माराम, मेहराम व कमला उर्फ फेफी का कब्जा था और उनके कब्जे के निशानात भी पुराने है, दिनांक 30.06.2011 को परिवादी घेवरचंद की प्रोटेस्ट पिटिशन न्यायालय ने खारिज कर दी। जिस पर निगरानीकर्ता ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर के समक्ष निगरानी संख्या 56/11 पेश की जो दिनांक 7.8.15 को खारिज फरमाई गयी।

3(16)–आत्माराम व मेहराम के पट्टे के संबंध में तथा सेल सर्टिफिकेट की जमीन के संबंध मे जहूरदीन पुत्र लाल मोहम्मद तेली निवासी गोगेलाव ने अपना शपथ पत्र दिनांक 22.12.1995 को निष्पादित किया, जिसमें यह बताया गया कि उक्त सेल सर्टिफिकेट की जमीन नेशनल हाई व्हे से काफी दूर पश्चिम की तरफ है जबकि घेवरचंद पुत्र गणेशमल चौरडिया 16 बीघा राजकीय जमीन पर गुण्डा तत्वो की सहायता से जबरन कब्जा कर चारदीवारी का निर्माण कर कब्जा करना चाहते है, मगर तत्पश्चात घेवरचंद से उपरोक्त जमीन जहूरदीन द्वारा खरीद लिये जाने पर अब उक्त सेल सर्टिफिकेट वाली जमीन नेशनल हाई व्हे के पास होना बताया रहा है। इस प्रकार से उपरोक्त पटटासुद जायगा पर अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी उसके पूर्व स्वामी का कब्जा व उपयोग उपभोग सन 1955 से लगभग 10–12 साल पहले से रहता चला आया था तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी का कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आ रहा है तथा अभी

अपर कलक्टर, नागौर

कुछ समय पूर्व आत्माराम व मेहराम के उक्त प्लोट एवं कमला उर्फ फेफी के पटटासुद प्लोट को घेवरचंद चौरडियां वगैरा द्वारा अपने धनबल व राजनेतिक पहुंच का सहारा लेते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों से उपरोक्त प्लॉट की कुर्की की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी नागौर के यहां करवाते हुए तहसीलदार नागौर को रिसीवर नियुक्त करते हुए उपरोक्त दानो प्लोट्स पर कुर्की की कार्यवाही की गयी।

3(17) –निगरानीकर्ता का मौके पर कभी उक्त जायगा पर कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है, जो पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है और बिना कब्जा, बिना स्वामित्व अधिकार के कथित निगरानी पोषणीय नहीं होने से इस आधार पर भी निगरानी खारिज करने योग्य है।

3(18)– शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल ने 6 प्लोट वर्ष 1981 में प्लोट लालचंद, विजयशंकर, जंवरीलाल, ओमप्रकाश व कन्हैयालाल को जरिय विक्रय विलेख विक्रय किये, जिससे निगरानीकर्ता घेवरचंद ने सन् 1991 में कुछ प्लोट विक्रय विलेख से व कुछ प्लोट इकरारनामा से खरीदे। निगरानीकर्ता घेवरचंद ने अखाराम बागडिया, गोपाल सोनी व जंवरूदीन को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। निगरानीकर्ता घेवरचंद ने विवादित जायगा के संबंध में कथित इकरारनामा दिनांक 7.5.12 को एक स्टाम्प पेपर पर प्लोट नम्बर 1 से 6 कुल 6 प्लोट जंवरूदीन पुत्र लाल मोहम्मद तेली निवासी गोगेलाव को बेचान कर मौके पर कब्जा करवा देना बताया गया। उक्त विवादित जायगा में अब निगरानीकर्ता घेवरचंद के पास उक्त जमीन का कोई भूभाग शेष नहीं रहा, इस तथ्य की पुष्टि स्वय निगरानीकर्ता घेवरचंद के बयान जो न्यायालय सिविल जज नागौर में हुए उसमें स्वीकार किया है, जिन बयानो में उसने कथन किया कि उक्त जमीन मैने बेच दी है कोई शेष जमीन नहीं रही है। इस प्रकार निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा, ग्राम पंचायत गोगेलाव की दीवार निर्माण स्वीकृति, ग्राम सभा द्वारा निर्माण स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव एवं न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में विचारीत दीवानी मूल प्रकरण संख्या 22/16, 110/13 के निर्णय दिनांक 2.3.2019 पैरा संख्या 7 पृष्ठ संख्या 6 में यह किया गया है कि परिवादी संख्या 7 घेवरचंद ने विक्रय विलेखों, इकरारनामों व आम मुख्तियारनामा के तहत समस्त भूमि को विक्रय कर क्रेतागण को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। उपरोक्त क्रेतागण अखाराम बागडिया, जंवरूदीन, गोपाल सोनी वगैरा ने उपरोक्त प्लोट संख्या 1 से 6 के संबंध में ग्राम पंचायत गोगेलाव से दीवार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गयी। इस प्रकार से प्लोट संख्या 1 से 6 निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा बेचान कर दिये गये। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि सिविल वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा अपने सिविल वाद के पैरा संख्या 17 व पृष्ठ संख्या 10 में अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर कर जवाबदावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिससे अब यह नहीं कहा जा सकता कि निगरानीकर्ता घेवरचद के पास कोई शेष जमीन है, जिससे अब निगरानीकर्ता घेवरचंद के पास जब कोई जमीन शेष रही ही नहीं तो उसका उक्त निगरानी इस पट्टा के संबंध में पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है जिससे भी निगरानी पोषणीय नहीं है।

3(19)– ग्राम गोगेलाव की आम जनता की ओर से सिविल न्यायाधीश नागौर के समक्ष एक वाद बअनवान रमजान खां वगेरा बनाम अखाराम वगैरा सिविल वाद संख्या 22/2016 (110/13) एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 112/2013 दर्ज करवाये गये। उक्त वाद में आत्माराम व मेहराम की पटटासुद जायगा एवं कमला उर्फ फेफी की पटटासुद जायगा के अतिरक्ति नेशनल हाई वे 89 के पश्चिम में स्थित खालसा भूभाग सरकारी जमीन ग्राम पंचायत की होना जाहिर करते हुए उपरोक्त वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये गये। उक्त वाद में वादीगण को ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अपने प्रस्ताव द्वारा अधिकृत कर रखा था, जो प्रस्ताव पत्रावली में पेश है। उक्त वाद के संलग्न प्रार्थना पत्र संख्या 112/2013 आदेश दिनांक 22.01.2014 के द्वारा आदेश यह अंकित किया गया कि 1966 में जरिये विक्रय पत्र अमानमल के वारीसान को आधी भूमि विक्रय पत्र के द्वारा लौटाई गई, फिर भी यदि शेष बची आधी भूमि को घेवरचंद वगैरा अपनी मानते भी है तो पूर्वी तरफ की उक्त भूमि के पूर्व में खालसा भूमि व नथु सुनार, गोकुल जाट व घासी खाती के मकान आते है। जबकि उक्त शेष बची पूर्वी तरफ की भूमि को शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल के पुत्र सत्यनारायण ने अपने परिवार के कर्ता खानदान होते हुए जो 6 प्लोट्स बेचान करना बताया है जिससे दर्शित होता है कि जो नथु सुनार पूर्वी तरफ निलामी में प्राप्त भूमि में था वह दक्षिण की तरफ किस प्रकार से आ गया? इस तथ्य को निगरानीकर्ता घेवरचंद वगैरा साबित नहीं कर पाये है। ग्राम पंचायत गोगेलाव की खुली पडी आबादी की खालसा भूमि रही है जिसमें ग्राम पंचायत गोगेलाव ने आत्माराम व मेहराम को सन 1995 में पुराने कब्जा के आधार पर विधिवत पट्टा जारी किया था, जिसमें उक्त भूमि को खालसा भूमि के रूप में दर्शित किया है। यदि उक्त भूमि खालसा भूमि न होकर निगरानीकर्ता घेवरचंद वगैरा की होती तो उसमें खालसा भूमि का अंकन नहीं आता। सेल सर्टिफिकेट की भूमि के संबंध में स्वयं जंवरूदीन ने शपथ पत्र सन 1995 में दिया था जिसमें निगरानीकर्ता घेवरचंद द्वारा उक्त खालसा भूमि पर कब्जा करने व चारदीवारी निर्माण करने बाबत

अपर कलक्टर, नागौर

आपति की थी, लेकिन अब जंवरूदीन द्वारा जरिये इकरारनामा उक्त विवादित प्लोट संख्या 6 खरीद लेने पर उक्त जमीन घेवरचंद की होना बताता है। नीलामी मे प्राप्त भूमि का पटटा व सेल सर्टिफिकेट में बताये गये आसे पासे, वादग्रस्त भूमि के आसे पासे से भिन्न है। सत्यनारायण द्वारा काटे गये 6 प्लोटो के आसे पासे नीलामी मे प्राप्त की भूमि के आसो पासो से मेल नहीं खाते है। ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा आत्माराम व मेहराम के पक्ष में जारी पटटे जिसमें तथाकथित निगरानीकर्ता घेवरचंद की जायगा ग्राम पंचायत में निहित करना दर्शित होता है। अमानमल के पटटे व निलामी में प्राप्त की गयी भूमि के आधार पर घेवरचंद अपना हक हिस्सा बता रहे है, इसके संबंध में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उन विक्रय पत्रों के आसे पासे अमानमल के पटटे व सेल सर्टिफिकेट के आसे पासे से मेल नहीं खाते है। अमानमल का पटटा व सेल सर्टिफिकेट जिसमें बेचान की गयी भूमि का नाम दर्शित नहीं है, उपरोक्त आधार मानते हुए न्यायालय सिविल जज नागौर ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर निगरानीकर्ता घेवरचंद वगैरा को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

3(20)–सिविल वाद संख्या 110/13 में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 2.3.19 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्णय के पैरा संख्या 34 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा बिना अधिकार के प्रतिवादी संख्या 7 घेवरचंद के स्वामित्व की भूमि पर आत्माराम के हक में पटटा जारी किया गया है, परन्तु आत्माराम के पटटे की भूमि आत्माराम व घेवरचंद के मध्य विवादित होते हुए भी इस प्रतिनिधि दावे में विवादित भूमि नहीं है। उक्त जनहित वाद में तनकी संख्या 1 के अनुसार उक्त सरकारी खालसा भूमि है, को साबित करने का भार वादीगण पर था मगर वादीगण ने वाद पत्र मे न तो वादग्रस्त खालसा भूमि का नाप चोप दिया और न ही नक्शा वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया तथा राजस्व रेकर्ड से खालसा भूमि साबित न कर पाने व ग्राम पंचायत द्वारा एक बार प्रतिवादीगण अखाराम बागडिया, जंवरूदीन, गोपाल सोनी को एन.ओ.सी. देने के आधार पर खालसा भूमि साबित करने में असफल माना गया। यहां यह दर्शित करना भी आवश्यक है कि ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा उपरोक्त एनओसी देने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा उपरोक्त दी गयी एनओसी को निरस्त कर दिया, फिर भी न्यायालय सिविल जज नागौर द्वारा उपरोक्त तनकी उक्त सरकारी खालसा भूमि को साबित करने मे वादीगण को असफल माना है। जनहित वाद की तनकी सं. 4 आया ग्राम पंचायत गोगेलाव ने अनेको प्रस्ताव मे वादग्रस्त भूमि पंचायत की भूमि मानी है? उक्त तनकी मे न्यायालय ने अभिमत दिया कि वाद पत्र व जवाबदावा के अभिकथनो को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 की इस तथ्य से कोई जानकारी नही है कि आपने कुछ प्रस्तावो मे ग्राम पंचायत मे वादग्रस्त भूमि का पंचायत की भूमि होना माना है, स्वयं ग्राम पंचायत ने प्रतिवादी सं. 8 के रूप मे वाद का उतर देते हुए वाद का समर्थन किया है। लिहाजा यह तनकी वादीगण के हक मे निर्धारित की जाती है कि इस प्रकार से तनकी सं. 1 वादीगण की त्रुटियो को आधार मानकर एवं ग्राम पंचायत द्वारा एक बार एनओसी जारी कर देने के आधार पर वे राजस्व रेकर्ड पेश नही करने से तनकी सं. 1 को साबित करने मे असफल माना है तथा तनकी सं. 4 के अनुसार तथाकथित घेवरचंद वगैरा की पटटासुद जायगा को ग्राम पंचायत की भूमि होना मान कर उपरोक्त तनकी वादीगण के हक मे निर्धारित की गयी। उक्त जनहित वाद ग्रामवासी गोगेलाव की तरफ से पेश किया गया था न कि केवल आत्माराम द्वारा पेश किया गया। उक्त वाद मे वादग्रस्त भूमि अलग थी आत्माराम व कमला उर्फ फेफी की पटटासुद जायगा के संबंध मे कोई विवाद उक्त सिविल वाद मे न तो था और न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज नागौर द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट कर दिया कि आत्माराम का पटटा इस वादग्रस्त जायदाद से भिन्न है। उक्त निर्णय में वाद खारिज किया गया मगर निगरानीकर्ता घेवरचंद व पूर्व स्वामीयो के पक्ष में उक्त विवादग्रस्त भूमि के स्वाामित्व को प्रमाणित कहीं पर भी नहीं माना गया है।

3(21)– सिविल वाद संख्या 110/2013 के उतरवाद में पृष्ठ संख्या 12 के पैरा संख्या 19 में निगरानीकर्ता घेवरचंद स्वयं ने यह स्वीकार किया कि आत्माराम व फेफी उर्फ कमला के हक में जो पटटा जारी किये गये, उनके विरूद्व घेवरचंद ने पट्टो को चुनोती देते हुए पंचायत के निर्णय के विरूद्व पंचायत समिति नागौर में अपील पेश की, जो लम्बित है। प्रथम तो जब पट्टो को सक्षम ऑथेरिटी पंचायत समिति नागौर में अपील पेश कर रखी थी तो यह पश्चातवर्ती निगरानी करने का उनको अधिकार भी नहीं था दोयम में, उक्त पंचायत समिति नागौर में लम्बित निगरानी/अपील के तथ्यो को जानबूझ कर न्यायालय से छुपाया गया है, एक ही अनुतोष के संबंध में दो अलग–अलग न्यायालयों में कार्यवाहीयां कतई नहीं चल सकती है, यह निगरानी पश्चातवर्ती कार्यवाही है, इस कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है, इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता घेवरचंद क्लीन हैंड से नहीं आया है। वास्तविक तथ्य न्यायालय से छुपा कर मेलाफाईड इन्टेनशन से निगरानी पेश की है।

अपर कलक्टर, नागौर

3(22)– निगरानीकर्ता ने सिविल वाद के जवाबदावा में यह अंकित किया है कि कमला उर्फ फेफी को ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा जारी उक्त पट्टे के खिलाफ पंचायत समिति नागौर के समक्ष अपील पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है व उसी पट्टे के संबंध में न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश कर रखी है। इस प्रकार कमला उर्फ फेफी के पट्टे के खिलाफ पंचायत समिति नागौर में अपील व न्यायालय हाजा के समक्ष निगरानी, दोनो कार्यवाहीयां करने का अधिकार निगरानीकर्ता को नहीं है।

3(23)–ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के खिलाफ पंचायत समिति के समक्ष अपल का प्रावधान है। कलक्टर/अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत पन्नालाल बनाम सुशीलादेवी 2018–19 (सप्लीमेंट्री) आर.आर.टी.(डी.बी.) एच.सी. 125 धारा 97 व 61 राजस्थान पंचायत राज नियम 1956, नियम 166 ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का आवंटन। आंवटन आदेश को अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष निगरानी के जरिये 13–14 वर्ष बाद चुनौती दी। पंचायत समिति के समक्ष अपील का प्रावधान है। न्यायालय हाजा के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं थी। गुणावगुण पर भी तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

3(24)–उपरोक्त पट्टा ग्राम पंचायत गोगलाव द्वारा जारी किया गया तथा इसके खिलाफ अपील पेश करना, स्थगन आदेश होना निगरानीकर्ता ने सिविल वाद के जवाब में स्वीकार किया है, उक्त तथ्य सिविल वाद के निर्णय में भी अंकित है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

3(25)–सिविल वाद संख्या 22/16 (110/13) का वाद ग्राम पंचायत गोगेलाव की आम जनता के हित में प्रतिनिधिक वाद पेश किया गया था, उक्त वाद में कमला उर्फ फेफी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था, जिससे उक्त सिविल वाद के निर्णय का प्रभाव अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी के पट्टासुद प्लोट पर नहीं होगा।

3(26)–सिविल वाद में वादग्रस्त भूमि कौनसी थी, इस संबंध में निर्णय के पेरा संख्या 1 में स्पष्ट अंकित है कि "यह भूमि ग्राम गोगेलाव क्षेत्र में स्थित सरकारी खालसा भूमि है इसके उतर मे भैरू दर्जी, आत्माराम, मानाराम, दक्षिण में लालु जी सुनार, पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 एवं कमला उर्फ फेफी पत्नी भेराराम की जमीन पश्चिम में अन्य मकानात व उसके पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 की जमीन आई हुई है।"

3(27)– इस प्रकार सिविल वाद में कमला पत्नी भेराराम का प्लोटसुद प्लोट न तो विवादित था न ही उस पर कोई निर्णय हुआ।

3(28)–निगरानीकर्ता घेवरचंद का कथन कि सिविल वाद का निर्णय दिनांक 02.03.19 को सिविल जज नागौर द्वारा किया जाकर इस भूमि का स्वामित्व निगरानीकर्ता व पूर्व स्वामियों के पक्ष में प्रमाणित माना है, यह कथन निगरानीकर्ता सरासर गलत कथन करता है क्योंकि प्रथमतः कमला उर्फ फेफी का कथन विवादित ही नहीं रहा, उसमें कमला उर्फ फेफी पक्षकार भी नहीं थी तथा निगरानीकर्ता घेवरचंद ने उपरोक्त प्लोट के स्वामित्व की घोषणा हेतु कोई सिविल वाद पेश नहीं किया था तथा उक्त सिविल वाद के निर्णय में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है, जिसमें कमला उर्फ फेफी की पट्टासुदा जायगा या निगरानीकर्ता की कथित विवादित जायगा का स्वामित्व निगरानीकर्ता का प्रमाणित माना हो, केवल जनहित वाद राजस्व रेकर्ड पेश नहीं करने के अभाव में खारिज किया गया। जबकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा राजस्व रेकर्ड पेश किया जा चुका है। उक्त राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 303 रकबा 103 बीघा 4 बिस्वा गेर मुमकिन आबादी गागलाव दर्ज है।

3(29)–ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 5/1995–96 के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.2.1996 के तहत इस जमीन को अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी व उसके पूर्व स्वामियो की कदीमी पीढियो से कब्जासुद मान कर कमला उर्फ फेफी को पटटा जारी किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 11.1.1995 को गफारखां पुत्र भोलेखां निवासी नागोर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में इकरारनामा के जरिये विक्रय पत्र खरीदा गया। तत्पश्चात कब्जा व स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फफी का रहा है। उक्त इकरारनामा को निगरानीकर्ता ने फर्जी मानते हुए यह निरानी पेश की है जबकि उक्त इकरारनामा को निरानीकर्ता ने किसी भी रूप से फर्जी साबित नहीं किया है, केवल उसके कह देने मात्र से फर्जी होना नहीं माना जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 कमला उर्फ फेफी के कब्जा के संबंध में ऊपर खुलासा तथ्य दर्ज किये जा चुके है। उपरोक्त पटटा नियम 266 राजस्थान नियम 1961 के अन्तर्गत 50 वर्षो से अधिक का कब्जा मानते हुए पटटा ग्राम पंचायत ने जारी किया था।

3(30)–ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते समय यदि भूमि का मूल्य 1000 रू से अधिक हो तो नियम 165 (3) के अनुसार उसे विकास अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक थी, जिसकी अनुपालना की गयी थी। ग्राम पंचायत ने मिसल में दिनांक 23.03.1996 की ऑर्डरशीट में अंकित किया है कि पंचायत

अपर कलक्टर, नागौर

अधिनियम के नियम 265 के अनुसार एक माह की अनुमोदन स्वीकृति गुजरने के बाद स्वतः ही स्वीकृति मानते हुए पटटा जारी किया जाता है। इससे पूर्व दिनांक 15.02.1996 को पंचायत अधिनियम के संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 के अनुसार 15 पैसे प्रति वर्गफुट से पटटा बनाने व एस.डी.एम. को अनुमोदन हेतु लिखा गया था।

3(31) उक्त भूमि का स्वामित्व दिनांक 02.05.12 से अमानमल मेघराज पुत्र लालचंद का पट्टासुद होना निगरानीकर्ता इस निगरानी में बता रहा है, मगर निगरानीकर्ता द्वारा पेश बेचान पत्र शिवप्रताप द्वारा किये गये बेचानपत्र सन 1966 व 1994 में किये गये बेचान पत्रों में उक्त अमानमल मेघराज के पट्टासुद का कथन कहीं पर भी नहीं करके केवल सेल सर्टिफिकेट को स्वामित्व का आधार मानकर उक्त बेचानपत्र पंजियन करवाये गये है। अगर उक्त विवादित भूमि पट्टासुद होती तो बेचान रजिस्ट्रीयां 1966 के पश्चातवर्ती रजिस्ट्रीयों में सेल सर्टिफिकेट के स्वामित्व को आधार मानकर निगरानीकर्ता ने खरीद की है मगर उक्त सेल सर्टिफिकेट निगरानीकर्ता ने जानबूझ कर पेश नहीं किया है।

4– वकील अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अपनी बहस में बताया कि–

4(1) वादग्रस्त जायगा जो ग्राम गोगेलाव की आबादी में नागौर से बीकानेर जाने वाली सडक के पश्चिम में आई हुई है, को शिव प्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक ने न्यायालय सिविल जज, नागौर से इजराय प्रकरण पत्रावली संख्या 85/1958 के संबंध में नीलामी बोली में खरीद किया था। इस कारण सिविल जज, नागौर ने शिवप्रताप के हक में वर्ष 1962 में खरीद की गई उपरोक्त वादग्रस्त जायगा सहित का सेल सर्टिफिकेट जारी किया गया। वास्तविकता यह भी रही कि उपरोक्त सेल सर्टिफिकेट वाली सम्पूर्ण जायगा पूर्व में अमानमल मगराज पुत्र लालचंद जाति महाजन बोथरा निवासी गोगेलाव की पट्टासुद थी जिसका माप 5065 वर्गगज था। जिसका पट्टा भी महाराजा सुमेरसिंह द्वारा दिनांक 02.05.1912 को जारी किया गया था। इस कारण उपरोक्त सेल सर्टिफिकेट के जरिये खरीद की गई वादग्रस्त जायगा सहित सम्पूर्ण जायगा का एक मात्र मालिक शिव प्रताप पारीक था व रहा जिसके द्वारा अपनी उपरोक्त स्वामित्व की जायगा को 2 हिस्सों में बंट करते हुए वर्ष 1966 में पूर्वी हिस्सा अपने पास रखते हुए जायगा के पश्चिमी भाग को दिनांक 28.02.1966 को हीराचंद बौथरा को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया तथा शेष पूर्वी हिस्सा जो 27712.5 गज रहा प्रतिफल की राशि रूपये 5000/– में भंवरलाल पुत्र रामनाथ पारीक को दिनांक 12.07.1971 को जरिये बेचाननामा बेचान कर उसका पंजीयन करवा दिया गया। इस कारण वर्ष 1971 से ही बाद खरीद उक्त वादग्रस्त संपंति का खरीददार भंवरलाल पुत्र रामनाथ पारीक रहा, जो अप्रार्थी संख्या 3 के सगे पिता थे व हैं। इस कारण उक्त वादग्रस्त संपंति अप्रार्थी संख्या 3 के पिता की उपरोक्त बेचानामा के जरिये खरीदसुदा संपंति का भाग है, जिसे साधिकार शिव प्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारामयण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के हक में बेचान किया गया था। जिस बेचाननामें की जानकारी शिव प्रताप उर्फ भंवरलाल के तमाम उतराधिकारियों को बेचान के दिन से ही थी व रही। साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 के पिता को उक्त वादग्रस्त संपंति विक्रय के पश्चात् वादग्रस्त संपंति पर अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर शिव प्रताप उर्फ भंवरलाल स्वयं का अथवा उनके उतराधिकारियों का किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं रहा न ही स्वामित्व रहा। इस कारण बाद मृत्यु शिव प्रताप उर्फ भंवरलाल के उसके उतराधिकारी सत्यनारायण को वादग्रस्त संपंति अथवा उसका कोई भाग किसी भी रूप से अथवा 6 प्लोटों के रूप में दिनांक 09.02.1981 को जंवरीलाल, ओमप्रकाश, आसकरण, कन्हैयालाल, विजय शंकर व लालचंद इत्यादि के हक में विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं था इस कारण किये गये बगैर हक अधिकार के सभी विक्रय पत्र कागजी थे व रहे जिन विक्रय पत्रों के आधार पर उपरोक्त खरीददारान व्यक्तियों को वादग्रस्त संपंति का कोई हिस्सा बतौर स्वामी न तो संपंति का कोई हिस्सा बतौर स्वामी न तो प्राप्त हुआ न होना संभव ही रहा इस कारण ऐसे विक्रय पत्रों के आधार पर प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने उक्त वादग्रस्त जायगा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1994 व 28.07.1994 के जरिये अपने आप को खरीदसुदा मालिक होना बतलाकर उपरोक्त निगरानी वादग्रस्त जायगा के पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बनाये जाने बाबत् जो आपति की है प्रथमतः प्रार्थी को ऐसी निगरानी वादग्रस्त जायगा के संबंध में अपने आप को वादग्रस्त जायगा का खरीदसुदा मालिक होना बताकर पेश करने का अधिकार नहीं है। जहां तक वादग्रस्त संपंति का प्रश्न है प्रार्थी/निगरानीकर्ता को यह शुरू से जानकारी रही है कि शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल द्वारा अपनी जायगा कापूर्वी हिस्सा जरिये बेचाननामा दिनांक 12.07.1971 के अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के हक में निष्पादित करके बेचान किया जा चुका है। इस कारण ऐसे विक्रय के पश्चात शेष विक्रय पत्र वादग्रस्त जायगा के संबंध में स्वतः ही बनावटी, फर्जी एवं कागजी हैं तथा इसी प्रकार से ग्राम पंचायत गोगेलाव के तत्कालीन सरपंच से साठ गांठ व मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम फर्जी इकरारनामा वर्ष 1995 गफार खां के नाम से तैयार करवाकर पट्टा विलेख 6000 वर्गफीट की जायगा का दिनाक 25.03.1996 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी करवाया गया जो उपरोक्त बेचान व उक्त पटटा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के नाम वैधानिक रूप से

अपर कलक्टर, नागौर

निष्पादित एवं पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 12.07.71 के बाद करवाये गये हैं। जबकि ग्राम पंचायत गोगेलाव को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम उक्त वादग्रस्त जायगा का पटटा जारी करने अथवा अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार न तो था व न है। जो अप्रार्थी संख्या 3 की बगैर जानकारी में उपरोक्त सभी कार्यवाहियों करवाई गई हैं तथा गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार बनाये बगैर ही सिविल जज, नागौर के न्यायालय से वर्ष 2013 में वादग्रस्त जायगा के संबंध में मिलावटी दावा पेश कर उसका निर्णय दिनांक 02.03.2019 को करवाया गया है जिस निर्णय से अप्रार्थी संख्या 3 किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। ऐसे निर्णय की मूल वाद संख्या 110/2013 में वादग्रस्त जायगा के संबंध में अपूर्ण व विधिविरूद्व तरीकों का उल्लेख करते हुए न्यायालय को अंधेरे में रखकर निर्णय व डिक्री जारी करवाई गई है। जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 3 किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। इस कारण ग्राम पंचायत गोगेलाव का वादग्रस्त जायगा के संबंध में जो बाद मृत्यु अप्रार्थी संख्या 3 के पिता की उनके उतराधिकारियों की मालिकाना हक की रही है, का प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 को लेने एवं इस आधार पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने का प्रथमतः कोई अधिकार नहीं था। इस कारण ग्राम पंचायत गोगेलाव ने पत्रावली संख्या 5/1996 में पंचायत अधिनियम 1994 व 1996 में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए विधिविरूद्व प्रस्ताव पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 में अप्रार्थी संख्या 2 को वादग्रस्त जायगा का पीढियों से कब्जासुद होना उल्लेखित किया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध फर्जी इकरारनामा दिनांक 11.01.1995 के तहत उक्त भूमि को गफार पुत्र मोले खां के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय करना बतलाया है, जिससे स्वतः प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 का पीढियों पुराना कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। ग्राम पंचायत ने मिलावट करने के कारण महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे बगैर ही दिनांक 25.03.1996 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया गया था जो मात्र कागजी दस्तावेज था व रहा जिसे अप्रार्थी संख्या 2 ने पंचायत को धोखे में रखकर फर्जी इकरारनामा के आधार पर प्राप्त किया है, क्योंकि गफार खां वादग्रस्त संपति का न तो मालिक था, ना काबिज था। इस कारण उसको किसी प्रकार का इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम निष्पादित करवाने का अधिकार ही नहीं था। जिस बाबत् कोई जांच ग्राम पंचायत ने नही की जबकि ऐसे इकरारनामे मे गफार खां के न तो हस्ताक्षर एवं अंगूष्ठ निशान है जो देखने से ही फर्जी दिखाई देता है। ऐसे प्रस्ताव में ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा पंचायत अधिनियमों की कोई पालना नहीं की न ही उन पर गौर किया। जहां तक राजस्थान पचांयत अधिनियम का नियम 266 का प्रश्न जिसके तहत 50 वर्ष पुराना कब्जा होना आवश्यक होता है जबकि वर्ष 1996 के दिन अथवा उसके पूर्व कभी अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा वादग्रस्त जायगा के किसी भी भू भाग पर नहीं था तथा उक्त जायगा का मूल्य रूपये 1000/– से अधिक होने पर नियम 265(3) के अनुसार विकास अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होता है जिस हेतु भी कोई अनुमति पटटे से पूर्व नहीं ली गई। इस कारण विधिविरूद्व पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य था व है तथा निष्प्रभावी है। जो पंचायत अधिनियम के एवं उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत है। साथ ही वादग्रस्त जायगा के सम्पूर्ण रेकर्ड के भी विपरीत है जिन सभी वैधानिक तथ्य दस्तावेज इत्यादि को नजरंदाज करते हुए मिलावट किये जाने से ग्राम पंचायत गोगेलाव ने व उनके सरपंच इत्यादि ने अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे फर्जी पटटा जारी किया है तथा मिलावटी व बनावटी अप्रार्थी संख्या 2 ने पटटे हेतु आवेदन पेश किया है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर होना उसके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। वैधानिक स्थिति यह भी रही है कि किसी खरीदसुदा भूमि का पटटा ग्राम पंचायत गोगेलाव का पंचायत अधिनिनियम के तहत जारी करने का अधिकार नहीं है जिस तथ्य को भी पंचायत ने अनदेखा किया तथा किसी प्रकार की कोई जांच पंचों, सरपंच इत्यादि द्वारा मौके पर नहीं की गई मात्र खानापूर्ति करने के उद्वेश्य से प्रस्ताव व आदेश पारित किया गया है। जिस हेतु किसी प्रकार की आज्ञप्ति, विज्ञप्ति व नोटिस को चस्पा तामिल इत्यादि नहीं करवाई गई मात्र एक ही स्थान अर्थात कार्यालय मे बैठकर फर्जी खानापूर्ति की गई। जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम वादग्रस्त जायगा का पटटा जारी किया गया है। जहां तक विधि के पूर्व प्रावधानों का प्रश्न है उसमे भी 50 वर्ष पुराना किसी संपति पर कब्जा होने पर 300 वर्गगज से अधिक भूमि का पटटा जारी किये जाने पर डी.एल.सी. दर पर भूमि की दर वसूल करने के प्रावधान रहे हैं। परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार की डी.एल.सी. की दर के आधार पर रकम वसूली नहीं की गई है। जहां तक 200 रूपये की रसीद के जरिये रूपये जमा करवाने का प्रश्न है वह रसीद ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं की गई है। उक्त प्रकार से ग्राम पंचायत गोगेलाव ने लाखों रूपये की बहुमूल्य भूमि का जो अप्रार्थी संख्या 3 व उनके पिता की स्वामित्व एवं कब्जे की रही है, का अवैधानिक पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी करने में भारी पटटे में प्रस्ताव पूर्ण रूप से अवैध था व है जिसकी पालना में पटटा दिनांक 25.03.1996 पूर्ण रूप से अवैध होने से ऐसे पटटे को खारिज एवं निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। वादग्रस्त संपति का हुसैन खां का बाद बेदखली वर्ष 1956 के कोई लेनदेन नहीं था इस कारण भी ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा जरिये पत्रावली संख्या 5/95–96 के प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 को निरस्त किया जाकर प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टा संख्या 4 को भी

अपर कलक्टर, नागौर

निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

5– वकील अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अपनी बहस में बताया कि–

5(1) प्रश्नगत प्रस्ताव व पटटा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 व 1996 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही पारित किये गये है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रस्ताव एवं पटटा निरस्त होने योग्य है।

5(2) प्रश्नगत पटटा व प्रस्ताव राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के आबादी भूमि निस्तारण के नियम 140 से लेकर 157 तक जो प्रावधान दिये गये है। उन आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही पारित किया गया है। इसलिए प्रश्नगत पटटा व प्रस्ताव विधि विरूद्व होने व नियमों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

5(3) प्रश्नगत पटटा व प्रस्ताव जिस भूमि के संबंध में जारी किया गया है, उक्त प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत गोगेलाव के स्वामित्व की नहीं है व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1961 के प्रावधानो व नियमों के विपरीत जाकर प्रस्ताव एवं पटटा जारी किया गया है। जो निरस्त होने योग्य है।

5(4) प्रश्नगत भूमि प्रार्थी गुलाब के पिता स्वर्गीय भंवरलाल की खरीद सुदा भूमि है, जो स्वर्गीय भंवरलाल ने दिनांक 24.07.1971 को खरीद की है। जो भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है निगरानी जो घेवरचंद द्वारा जिस भूमि को स्वयं के स्वामित्व की होना बताया जा रहा है वह भूमि घेवरचंद के स्वामित्व की नहीं है व न ही उक्त भूमि के संबंध में घेवरचंद का किसी प्रकार का हक अधिकार है। घेवरचंद को ऐसी निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीया गुलाबदेवी के पिता स्वर्गीय भंवरलाल की दिनांक 24.07.71 के विक्रय पत्र के जरिए खरीदसुदा भूमि है जिसके संबंध में किसी प्रकार का पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत गोगेलाव को नहीं है। प्रार्थिया के पिता की खरीद से पूर्व उक्त विवादित जायगा स्वर्गीय शिवप्रताप उर्फ भंवरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पारीक के स्वामित्व की थी जिस जायगा से निगरानीकर्ता घेवरचद का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। उक्त विक्रयपत्र की जानकारी घेवरचंद को शुरू से रही है घेवरचंद का उक्त भूमि का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। बल्कि उक्त भूमि प्रार्थीया के स्वामित्व की भूमि है जो न्यायालय द्वारा निलामी के दौरान विक्रय की गई व तत्पश्चात प्रार्थीया की खरीदसुदा भूमि है जिसमें प्रार्थीया का हक अधिकार निहित करता है ऐसी भूमि के संबंध में पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है व न ही उक्त भूमि ग्राम पंचायत में निहित नहीं करती है इसलिए ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पटटा जारी करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त पटटा व प्रस्ताव विधि विरूद्व तरीके से जारी किये गये है जो एक अवैध प्रस्ताव व पटटे की श्रेणी में आता है इसलिए अपास्त होने योग्य है।

6– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मिसल संख्या 5/1995–96 में पट्टा जारी करने हेतु पारित संकल्प संख्या 8 दिनांक 15.02.1996 के जरिये दिनांक 25.03.1996 को पटटा संख्या 04 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की पालना करते हुए ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी ली गई है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज के नियमों की पालना करते हुए विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.02.1996 के प्रस्ताव सं. 8 के अनुसार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। पट्टे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार रसीद संख्या 66 दिनांक 25.03.1996 द्वारा 900/– रूपये जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

8– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/4/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर